राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर।

पीठासीन प्राधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ रा.प्र.से.

अपील सं. 18/2023

उनवान

1. हनीफ खां पुत्र रतन खां जाति मुसलमान निवासी बांगड़सर तहसील कोलायत जिला बीकानेर

––अपीलान्ट

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकाराज

––रेस्पोडेन्टान

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 17.12.1985 न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) मुकाम कोलायत

उपस्थिति–

प्रार्थी(अपीलांट) की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री विजय कुमार भादाणी

अप्रार्थी(रेस्पोडेन्ट) की ओर से– पैरोकाराज

निर्णय दिनांक :– 05/05/2025

निर्णय

अपील अपीलान्ट की ओर से वकील श्री विजय कुमार भादाणी, एडवोकेट द्वारा अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 17.12.1985 न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) मुकाम कोलायत के विरूद्ध पेश की गई। अपीलांट द्वारा पेश अपील मीमो के मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. अपीलाण्ट ग्राम बांगड़सर का मूल निवासी है काश्तकारी पेशा व्यक्ति है।
2. अपीलाण्ट ने आरजी काश्त आवंटन के तहत भूमि आवंटन के लिए आवेदन दिया जिस पर अपीलाण्ट की भूमि आवंटन की पात्रता की जांच की जाकर दिनांक 29.08.1983 को अपीलाण्ट के नाम ग्राम बांगड़सर में खसरा नं0 1086 में 39 बीघा भूमि टी.सी. आवंटन के तहत आवंटन की गयी जिसका प्रति वर्ष नवीनीकरण किया जाता रहा है। अपीलाण्ट का आराजी मुतनाजा पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अपीलाण्ट ने अराजी मुतनाजा को काबिल काश्त बनाया है तथा इसी भूमि को काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है।
3. दिनांक 15.12.1985 को श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत ने अपीलाण्ट का उपरोक्त आवंटन अपीलाण्ट को गैर हाजिर दर्शा कर व सबूतों के अभाव में नवीनीकरण नहीं कराना चाहता, मानकर निरस्त कर दिया। जो कानून एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
4. अपीलाण्ट की आवंटन पत्रावली में हल्का पटवारी ने रिपोर्ट की है कि अपीलाण्ट वांगडसर का मूल निवासी है। सन् 1985 की निर्वाचन सूचि में पिता का नाम क्रम सं0 252 मकान नंबर 92 पर दर्ज है। सायल के हिस्से में 10.18 बीघा बारानी आती है। सायल 39 बीघा वारानी भूमि पाने का हकदार है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट को आरजी काश्त भूमि आवंटन किया है लेकिन 17.12.1985 को गैर हाजिर होने से अपीलाण्ट का आवंटन निरस्त कर दिया गया। अपीलाण्ट के आवेदन आवंटन पत्रावली की पूर्व से ही पूरी जांच कर ही आवंटन नवीनीकरण

किया जाता रहा है फिर भी श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत ने मात्र अपीलाण्ट के अनुपस्थित होने से अपीलाण्ट का आवंटन निरस्त कर काूननी भूल की है जिससे आदेश दिनांक 17.12.1985 कानून एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. ग्राम बांगड़सर मरूस्थलीय है जहां कई कई सालों तक बारिश नहीं होती। बारिश के अभाव में काश्त नहीं होती। जीवन व्यापन के लिए ग्रामीणों को अस्थायी रोजगार यथा पशु पालन करना पड़ता है और अकाल स्थिति में ढोर–पशुओं को चराने के लिए जिले से बाहर ले जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलाण्ट को मात्र एक पेशी पर गौर हाजिर होने से अपीलाण्ट का आरजी काश्त आवंटन निरस्त किया जाना कतई न्याय संगत नहीं है जिससे आदेश दिनांक 17.12.1985 श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत निरस्त किये जाने योग्य है।
6. श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया, ना ही कोई नोटिस अपीलाण्ट को प्राप्त हुवा। किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार पक्षकार को सुनवाई सबूत का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून एवं विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
7. अपीलाण्ट अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है जिसे कानून की कोई जानकारी नहीं है दिनांक 04.08.2023 को अपीलाण्ट अपने आराजी काश्त से पुख्ता आवंटन की कार्यवाही करने के लिए कार्यालय तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मुकाम कोलायत गया तो आदेश की जानकारी होने पर उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दे दिया।

अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर श्रीमानजी से सादर निवेदन है कि आदेश दिनांक 17.12.1985 श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत निरस्त किया जाकर अपील मंजूर फरमाई जावें।

पैरोकाराज का कथन कि उक्त अपील जो कि मियाद बाहर पेश की गई है, मियाद पर खारिज फरमाते हुए गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित किया जावे।

8. वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलमीमों को ही मेरी अंतिम बहस मानी जावे। साथ मौखिक कथन है कि अपीलान्ट को आदेश जारी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिवत् नोटिस/सूचना नहीं दी गई है। एकतरफा ही आदेश जारी किया गया है। अपीलान्ट को आवंटन वर्ष 29.08.1983 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा किया गया था जिसको दिनांक 17.12.1985 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलाण्ट नवीनीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुआ। श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया, ना ही कोई नोटिस अपीलाण्ट को प्राप्त हुवा। किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार पक्षकार को सुनवाई सबूत का अवसर दिया जाना आवश्यक है। जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1979 Kahan Singh V/s State of Raj- 202 Revision No. 85 Ganganagar of 78 decided on 1st may, 1979 Natural Justice- Basic principle- opportunity of hearing- Affected party should be given reasonable opportunity of hearing before any decision, made against him-Clear violation of fundamental principle of jurisprudence, encountered where no reasonings, recorded by Add. Collector in arriving at finding and no

opportunity, given to applicant to present his case-order being patently and grossly illegal, set aside.

9. अपीलाण्ट अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है जिसे कानून की कोई जानकारी नहीं है दिनांक 04.08.2023 को अपीलाण्ट अपने आरजी काश्त से पुख्ता आवंटन की कार्यवाही करने के लिए कार्यालय तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मुकाम कोलायत गया तो आदेश की जानकारी होने पर उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दे दिया। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत डीले कन्डोन की जाकर आदेश दिनांक 17.12.1985 श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.1985 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील दिनांक 16.08.2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष की और से कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। मुताबिक पत्रावली के अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती हैं।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा टीसी आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अपीलान्ट को तहसील कोलायत के ग्राम बांगड़सर में खसरा नम्बर 1086 में 39 बीघा भूमि टी.सी. आवंटन की गई। अपीलान्ट को टीसी में आवंटित भूमि का संवत् 2041 तक नवीनीकरण किया गया।

टी.सी. नवीनीकरण पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा टी.सी. नवीनीकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का कतई जॉच किये बिना ही अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर दिये बिना अपीलान्ट का टी.सी. आवंटन खारिज किया गया है। पत्रावली में नोटिस जारी किये जाने के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस कारण वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त पूर्ण रूप से चस्पा होते है।

उक्त विवेचना के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मुकाम कोलायत का आदेश दिनांक 17.12.1985 निरस्त किया जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मुकाम कोलायत को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सूनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए टी.सी. आवंटन हेतु नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 ..... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर से इजलास सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन
एवं राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर